पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 324/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 18.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना बिलरियागंजः कार्य सरकार में बाधा पहुँचाने व झगड़ा करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.10.2024 को समय करीब 22.50 बजे कार्यालय में बैठकर आरक्षी दीपक कुशवाहा पुत्र सुबाष कुशवाहा निवासी पैकौली थाना सुरौली जनपद देवरिया वर्तमान समय मे का0मु0 पद पर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ कार्य सरकार कर रहे थे कि करीब 07 से 08 महिलाये व 05 से 06 पुरुष अचानक थाना कार्यालय मे घूस आये कहने लगे कि पुलिस क्यो बार बार हमारे घर पर जाती है तथा शोर गुल करने लगे व पुलिस को गाली गुप्ता बकने लगे मैने समझाते हुए पूछा कि क्या बात है इस पर उग्र होकर मेज पर रखे सरकारी रजिस्टर फाड़ने लगे व फेंक दिये मेरे द्वारा उनको ऐसे करने से मना करते हुए बाहर जाने के लिए कहा गया तो उन लोगो द्वारा मारपीट की गयी, कार्यलेख पर मौजूद मुन्शी राहुल सिंह व थाना परिसर से उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा,हे0का0 भीम चौधरी,पीआरडी मुर्तुजा व मुन्शी रवि सिंह,मुन्शी सोनू कुमार,का0 आशीष कुमार बचाने दौडे तो इन पर भी ईट पत्थर से हमला किये जिससे हे0का0 भीम चौधरी व पीआरडी मुर्तुजा को भी चोट लगी थी। का0मु0 दीपक कुशवाहा के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/24 धारा 191(2)/190/241/109/115(2)/121(1)/132/352/351(2) बीएनएस बनाम 1.शालू राजभर पुत्री अज्ञात 2. किनकी उर्फ नीलू पत्नी हरिश्चन्द राजभर 3.अमित राजभर पुत्र हरिश्चन्द 4.प्रदीप 5.संदीप पुत्रगण रमेश राजभर निवासीगण भटौली थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ व रिश्तेदार 6. विशाल राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर 7. गोविन्द राजभर पुत्र खेदन राजभर 8. दिनेश राजभर पुत्र मुन्नर राजभर 9. कुछ और व्यक्ति अज्ञात नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसमे नामित अभियुक्तगण 1. विशाल राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. गोविन्द कुमार राजभर पुत्र खेदन राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. दिनेश राजभर पुत्र मुन्नर राजभर सा0 बिलरियागंज देहात थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 18.10.2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद थाना बिलरियागंज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. विशाल राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. गोविन्द कुमार राजभर पुत्र खेदन राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. दिनेश राजभर पुत्र मुन्नर राजभर सा0 बिलरियागंज देहात थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को मधनापार मोड़ के पासा से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. 370/24 धारा 191(2)/190/241/109/115(2)/121(1)/132/352/351(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विशाल राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. गोविन्द कुमार राजभर पुत्र खेदन राजभर सा0 सुन्दर सराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. दिनेश राजभर पुत्र मुन्नर राजभर सा0 बिलरियागंज देहात थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

02. थाना- कोतवाली: धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त 2 एटीएम व 3500 रूपया के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

वादी चित्रांशु श्रीवास्तव पुत्र श्री संजय कुमार श्रीवास्तव मुहल्ला शिवनगर कालोनी थाना सिधारी जिला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि मैं अपनें ATM Card से sbi मशीन विशाल मल्टीप्लेक्स के सामनें सिधारी आजमगढ़ से दिनांक- 14.10.24 को समय 06 बजकर 55 मिनट 21 सेकण्ड पर रुपया 10,000 नकद निकाला परन्तु ATM कार्ड मशीन में ही फंस गया। उसके पश्चात मैनें ATM मशीन के अन्दर HELPLINE नम्बर 8582973694 पर फोन किया जिस पर बताया गया कि (जवाब आया) मैं बस स्टाप पर हूँ। आप कार्ड छोड़ दीजिये मशीन में। 1 एक घंटा के बाद आता हूँ। लगभग एक घंटा बाद मेरे ATM CARD से 90000 नगद निकाला गया तथा रुपया 9696/-, 24091 का सामान क्रय किया गया। उक्त के सम्बन्ध में दि. 15.10.24 को मु0अ0सं0 579/24 धारा 318(4), 319(2), 305, 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 17.10.24 को उ0नि0 यश सिंह पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास कुमार पुत्र स्व0 विपिन सिंह निवासी गोखला थाना सिकन्दरा जिला जमुई बिहार उम्र 33 वर्ष को समय 19.30 बजे ठन्डी सड़क से हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

3.थाना – रौनापार: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 28.03.2024 को वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री को कुछ लोगों द्वारा बहला-फुसलाकर मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गये जिसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाकर बेहोशी की हालत में देर रात्रि में वापस गांव के बाहर छोड़ दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 376डी भा.द.वि. बनाम मो0न0 99XXXXXXXX धारक व कुछ लोग नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसके विवेचना के क्रम में अभियुक्तों 1. राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान सा0 सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. शिवशंकर चौहान पुत्र जयपाल चौहान सा0 सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. शैलेष यादव पुत्र राजनेत यादव सा0 वेदपुर नवतप्पी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया जिनके विरूद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तों के विरुद्ध श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेशानुसार थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 18.10.2024 को मु0अ0सं0- 403/24 धारा 2(ख)1/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 18.10.2024 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. राहुल चौहान पुत्र विनोद चौहान निवासी सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. शिवशंकर चौहान पुत्र जयपाल चौहान निवासी सिरही थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. शैलेष यादव पुत्र राजनेत यादव निवासी वेदपुर नवतप्पी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को भीमवर पुलिया से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 403/24 धारा 2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

A. अभियुक्त राहुल चौहान व अभियुक्त शिवशंकर चौहान

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना/जनपद
1	114/24	376D भा.द.वि.	A-133 दि0 07.05.24	रौनापार, आजमगढ़
2	118/24	307भा.द.वि. 3/25 आर्म्स एक्ट	A-171दि0 1106.24	रौनापार, आजमगढ़
3	403/24	2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	विवेचनाधीन	रौनापार, आजमगढ़

B. आपराधिक इतिहास- शैलेष यादव पुत्र राजनेत उपरोक्त

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना/जनपद
1	114/24	376D भा.द.वि.	A-133 दि0 07.05.24	रौनापार, आजमगढ़
2	403/24	2(बी)(1), 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	विवेचनाधीन	रौनापार, आजमगढ़

04.थाना-फूलपुरः- दहेज हत्या में वांछित 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 17-10-2024 को मुकदमा वादी विजयी पाण्डेय पुत्र स्व सुर्यनाथ पाण्डेय ग्राम- हैबतपुर, थाना- कोतवाली देवगाँव, जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री की शादी 2021 में नीरज पाण्डेय उर्फ डिम्पल पुत्र हौसिला उर्फ झूनझून पाण्डेय ग्राम-दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ के साथ हुआ था। जहाँ शादी के बाद से ही पीडिता के ससुराल वालों द्वारा लगातार दहेज में बुलेट गाडी की माँग करते हुए प्रताडित करते हुए मारपीट कर उसकी हत्या कर दिये। जिसके संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 520/24 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1.पति नीरज पाण्डेय उर्फ डिम्पल पुत्र हौसिला उर्फ झूनझून पाण्डेय 2. ससुर हौसिला उर्फ झुनझुन पुत्र अज्ञात 3.सास कुसुम पाण्डेय पत्नी हौसिला पाण्डेय 4. शेषनाथ पुत्र कमला (चचिया ससुर) 5. (चचिया सास) बाला पत्नी शेषनाथ ग्राम-दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 18.10.2024 को व0उ0नि0 गंगाराम विन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता 1 .सास कुसुम पाण्डेय पत्नी हौसिला पाण्डेय, 2. (चचिया सास) शशिबाला पत्नी शेषनाथ पाण्डेय ग्राम-दुवार्षा(पडौली), थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ को नियाउज मोड ग्राम चेतरा से समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

05. थाना पवईः- गैंगेस्टर एक्ट में वांछित/फरार अभियुक्त के घर चस्पा किया गया 82 सीआरपीसी की नोटिस

मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट न0 - 05, आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन के क्रम में उपनिरीक्षक रविन्द्र प्रसाद चौकी प्रभारी मित्तुपुर मय हमराह द्वारा मु0अ0स0173/24 धारा 2(ख)(1), 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ से संबंधित अभियुक्त मंगल नोना उर्फ मंगल लोना पुत्र रतिलाल निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर के घर व मिलने के संभावित स्थानों पर नियमानुसार डुगडुगी पिटवा कर समक्ष गवाह निगम पुत्र महेंद्र लोना, 2. साहिल पुत्र महेंद्र लोना निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर अम्बेडकर के समक्ष 82(2) सीआरपीसी की नोटिस चश्पा कर उद्घोषणा की गई एवं सार्वजनिक स्थान जलालपुर, अशरफपुर, शाहपुर डढ़वा, जमालपुर चौराहा, कस्बा जलालपुर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जलालपुर पर 82 crpc की नोटिस चस्पा की गई तथा उ0नि0 मनीष मिश्रा द्वारा अभियुक्त की धारा 82 crpc की नोटिस को जनपद आज़मगढ़ में माननीय न्यायालय के गेट पर, रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड आज़मगढ़ व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया गया है।

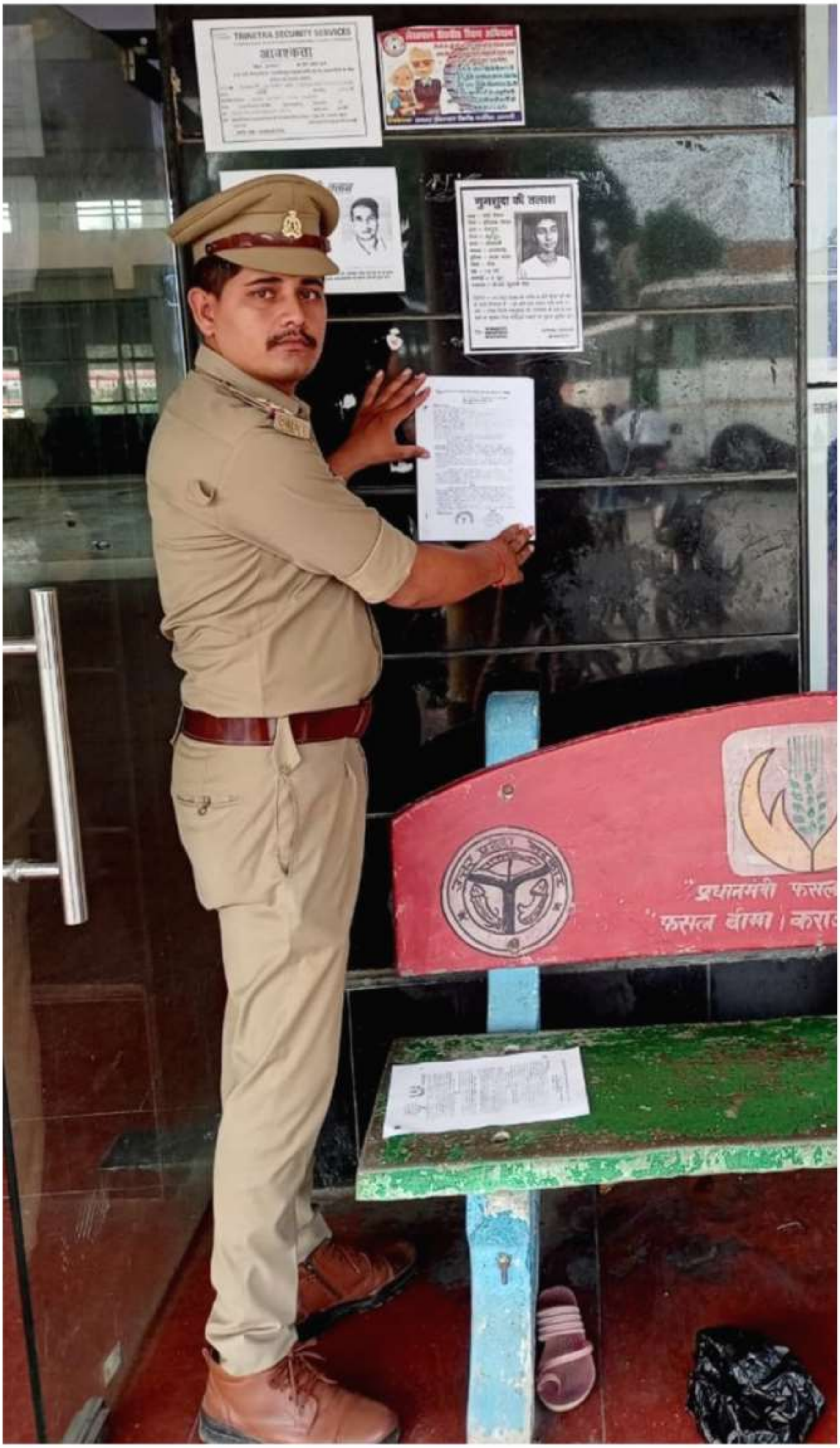
TRINETRA SECURITY SERVICES
आवश्यकता
गुमशुदा की तलाश

06. थाना- मेंहनाजपुर:- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 17.10.24 को आवेदक थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार भारतीय पुत्र सहेन्द्र राम ग्राम ढाखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ नामक व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 172/2024 धारा 299,353(2), बीएनएस व 67 ए आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 18.10.24 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामपुर राकेश कुमार भारतीय पुत्र सहेन्द्र राम ग्राम ढाखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को जमीन पालहन नहर पुलिया से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 172/2024 धारा 299,353(2), बीएनएस व 67 ए आईटी एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद

2.मु0अ0सं0 43/24 धारा- 353,504,506,427 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़